

**दिल्ली विकास प्राधिकरण  
(वित्त तथा व्यय)**

**एफ एंड ई परिपत्र सं. 07/ 2012**

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, डीडीए ने इस कार्यालय के दिनांक 26.2.2009 के सं. 1.1009, दिनांक 17.9.2009 के 10/2009, दिनांक 5.1.2011 के 1/2011, दिनांक 29.11.2011 के 14/2011 और दिनांक 14.02.2012 07/2012 के परिपत्र का अतिक्रमण करते हुए वर्ग III और IV के कर्मचारियों के संबंध में ओपीडी उपचार पर व्यय की वार्षिक सीमा, मासिक मेडिकल भत्ते और सभी सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में मासिक मेडिकल योगदान में संशोधन के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित कर दिया है:

क्र. सं.	01.01.1986 से कार्यान्वित वेतनमान	01.01.1996 से कार्यान्वित पद/ ग्रेड तथा वेतनमान	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	संबंधित छठा सीपीसी वेतन बैंड / पैमाना	संबंधित ग्रेड वेतन	मौजूदा संशोधित वार्षिक सीमा। मासिक चिकित्सा योगदान में संशोधन मासिक चिकित्सा भत्ता, अनुमोदन	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	775-12-871-12-1025	एस-2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400	क्र.सं. 1 से 4 (ग्रेड डी) रु. 7500/- रु. 9000 रु. 15 रु. 20 रु. 325/- रु. 390
3	775-12871-14-955-15-1030-20-1150	एस-2ए	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1600	
4	800-15-1010-20-1150	एस-3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650	
5	825-15-900-20-1200	एस-4	2750-70-3800-75-4400	पीबी-1	5200-20200	1800	क्र.सं. 5 से 9 के लिए (ग्रेड सी)
6	950-20-1150-	एस-5	3050-75-	पीबी-1	5200-	1900	10,000/-

	25-1400 950-20-1150- 25-1500 1150-25-1500		3950- 80-4590		20200		<u>12,000/-</u> <u>रु. 40/-</u> <u>रु. 50/-</u> <u>रु. 425/-</u> <u>रु. 510/-</u>
7	975-25-1150- 30-1540 975-25-1150- 30-1660	एस-6	3200-85- 4900	पीबी-1	5200- 20200	2000	
8	1200-30-1440- 30-1800 1200-30-1560- 40-2040 1320-30-1560- 40-2040	एस-7	4000-100- 6000	पीबी-1	5200- 20200	2400	
9	1350-30-1440- 40-1800-50- 2200-1400-40- 1800-50-2300	एस-8	4500-125- 7000	पीबी-1	5200- 20200	2800	
10	1400-40-1600- 50-2300-60- 2600 1600-50-2300- 60-2600	एस-9	5000-150- 8000	पीबी-2	9300- 34800	4200	
11	1640-60-2600- 75-2900	एस- 10	5500-175- 9000	पीबी-2	9300- 34800	4200	<b>क्र.सं. 10 से 16 {ग्रेड (बी)}</b>
12	2000-60-2120	एस- 11	6500-200- 6900	पीबी-2	9300- 34800	4200	<u>रु. 15000/-</u> <u>रु. 18,000/-</u>
13	2000-60-2300- 75-3200 2000-60-2300- 75-3200-3500	एस- 12	6500-200- 10500	पीबी-2	9300- 34800	4200	<u>रु. 70/-</u> <u>रु. 85/-</u> लागू नहीं
14	2375-75-3200- 100-3500 2375-75-3200- 100-3500-125-	एस- 13	7450-225- 11500	पीबी-2	9300- 34800	4600	

	3750						
15	2500-4000	एस-14	7500-250-12000	पीबी-2	9300-34800	4800	
16	2200-75-2800-100-4000 2300-100-2800	एस-15	8000-275-13500	पीबी-2	9300-34800	5400	
17	<b>2200-75-2800-100-4000</b>	<b>नया पैमाना</b>	<b>8000-275-13500</b> <b>(समूह क प्रविष्टि)</b>	<b>पीबी-3</b>	<b>15600-39100</b>	<b>5400</b>	<b>क्र.सं. 17 से 31</b> <b>(ग्रेड ए)</b> <b>रु. 24,000/-</b> <b>रु. 28,8,00/-</b> <b>रु. 120/-</b> <b>रु. 150/-</b> <b>लागू नहीं</b>
18	2630/- निश्चित	एस-16	9000	पीबी-3	15600-39100	5400	
19	2630-75-2780	एस-17	9000-275-9550	पीबी-3	15600-39100	5400	
20	3150-100-3350	एस-18	10325-325-10975	पीबी-3	15600-39100	6600	
21	3000-125-3625 3000-100-3500-125-4500 3000-100-3500-125-5000	एस-19	10000-325-15200	पीबी-3	15600-39100	6600	
22	3200-100-3700-125-4700	एस-20	10650-325-15850	पीबी-3	15600-39100	6600	
23	3700-150-4450 3700-125-4700-150-5000	एस-21	12000-375-16500	पीबी-3	15600-39100	7600	
24	3950-125-4700-150-5000	एस-22	12750-375-16500	पीबी-3	15600-39100	7600	
25	3700-125-4950-150-5700	एस-23	12000-375-18000	पीबी-3	15600-39100	7600	
26	4100-125-4850-	एस-	14300-	पीबी-4	37400-	8700	

	150-5300 4500-150-5700	24	400-18300		67000		
27	4800-150-5700	एस- 25	15100- 400-18300	पीबी-4	37400- 67000	8700	
28	5100-150-5700 5100-150-6150 5100-150-5700- 200-6300	एस- 26	16400- 450- 20000	पीबी-4	37400- 67000	8900	
29	5100-150-6300- 200-6700	एस- 27	16400- 450- 20900	पीबी-4	37400- 67000	8900	
30	4500-150-5700- 200-7300	एस- 28	14300- 450- 22400	पीबी-4	37400- 67000	10000	
31	5900-200-6700 5900-200-7300	एस- 29	18400- 500- 22400	पीबी-4	37400- 67000	10000	
32	7300-100-7600	एस- 30	22400- 525- 24500	पीबी-4	37400- 67000	12000	क्र.सं. 32 वास्तविक के अनुसार सदस्य रु. 150/- रु. 175 लागू नहीं
				पैमाने द्वारा प्रतिस्थापित			
				एचएजी	67,000- (वार्षिक वृद्धि 3%)- 79000	शून्य	

आदेश 1.4.2014 से प्रभावी होंगे।



(मनीष कुमार)

मुख्य लेखा अधिकारी, डीडीए